लघु उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 84

लघु उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		345.60	51.51	397.11	285.00	50.63	335.63	326.49	51.07	377.56
पूंजी		...	...	...	...	...	...	*20.00*	...	*20.00*
जोड़		**345.60**	**51.51**	**397.11**	**285.00**	**50.63**	**335.63**	**346.49**	**51.07**	**397.56**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.95	3.95	...	4.14	4.14	...	4.50	4.50
लघु उद्योग										
2. लघु उद्योग विकास आयुक्त (लाइब्रेरी सहित)	2851	4.50	8.02	12.52	4.70	8.22	12.92	5.53	8.17	13.70
3. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	2851	28.80	1.90	30.70	24.80	1.90	26.70	18.00	1.40	19.40
4. लघु उद्योग स्कीमों का	2851	81.12	37.64	118.76	66.83	36.37	103.20	87.98	37.00	124.98
संवर्धन	3601	11.38	...	11.38	28.82	...	28.82	4.38	...	4.38
	3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	जोड़	*92.80*	*37.64*	*130.44*	*95.95*	*36.37*	*132.32*	*92.66*	*37.00*	*129.66*
5. सरकारी उपक्रमों में निवेश - एन.एस.आई.सी.	4851	...	...	...	...	...	...	18.00	...	18.00
6. अन्य स्कीमें	2851	4.50	...	4.50	4.05	...	4.05	4.50	...	4.50
	4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6851	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*4.50*	*...*	*4.50*	*4.05*	*...*	*4.05*	*4.50*	*...*	*4.50*
7. ऋण गारंटी स्कीम	2851	180.00	...	180.00	127.00	...	127.00	172.80	...	172.80
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	35.00	...	35.00	28.50	...	28.50	33.00	...	33.00
	4552	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*35.00*	*...*	*35.00*	*28.50*	*...*	*28.50*	*35.00*	*...*	*35.00*
कुल जोड़		***345.60***	***51.51***	***397.11***	***285.00***	***50.63***	***335.63***	***346.49***	***51.07***	***397.56***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
5.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	12851	...	85.00	85.00	...	85.00	85.00	18.00	50.00	68.00
जोड़		**...**	**85.00**	**85.00**	**...**	**85.00**	**85.00**	**18.00**	**50.00**	**68.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	315.00	85.00	400.00	260.90	85.00	345.90	315.00	50.00	365.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	35.00	...	35.00	28.50	...	28.50	35.00	...	35.00
जोड़		**350.00**	**85.00**	**435.00**	**289.40**	**85.00**	**374.40**	**350.00**	**50.00**	**400.00**
मांग संख्या 98	12851	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	...	...	...
मांग संख्या 99	12851	4.25	...	4.25	4.25	...	4.25	3.51	...	3.51
	जोड़	*4.40*	*...*	*4.40*	*4.40*	*...*	*4.40*	*3.51*	*...*	*3.51*

** इसके अंतर्गत शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इसमें लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए स्थापना संबंद्ध व्यय की व्यवस्था है।

2. विकास आयुक्त (पुस्तकालय सहित) : विकास आयुक्त का कार्यालय जिसके प्रधान विकास आयुक्त हैं, देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, समन्वयन और अनुवीक्षण करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। यह लघु उद्योगों के विकास से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है।

यह विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में 30 लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, 28 छोटी उद्योग सेवा संस्थाओं, 4 प्रादेशिक परीक्षण केन्द्रों, 7 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, और एच.टी.डी.डी. एण्ड टी.सी., नागपुर के नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों को व्यापक रूप में सुविधाएं और सेवाएं, यंत्रों की सुविधा, विपणन सहायता आदि प्रदान करता है।

3. **लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदानः** एन.एस.आई.सी., किराया-खरीद पर मशीनों की आपूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रौटोटाइप विकास और टर्न-की परियोजनाओं के निर्यात के लिए सामान्य सुविधाओं के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

4. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं :** इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास, सहायक उद्योग विकास, यंत्र कक्षों, क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों तथा क्षेत्रीय परीक्षण स्टेशनों के लिए स्कीमें, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सीएडी/सीएएम केंद्र, चैन्नई, लघु उद्योगों का अवसंरचनात्मक विकास, सांख्यिकी का संग्रहण और ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिजी स्कीम शामिल हैं।

5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)**ः राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। इसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ किराया खरीद आधार पर लघु उद्योग यूनिटों के आयातित और स्वदेशी मशीनों की आपूर्ति करना, कच्चे माल और पुर्जों की आपूर्ति और वितरण, आंतरिक बाजार और विदेशी बाजार प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है। अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता उनके कार्यों और सेवाओं जो अधिकांशतः संवर्धनशील प्रकृति की हैं, के आंशिक वित्तपोषण तथा पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में इनके कार्यों और सेवाओं को जारी रखने हेतु वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए है।

6. **अन्य स्कीमेंः** इसमें व्यापार और निवेश संबंधों के संवर्धन हेतु वृहत संस्थागत सहायता के लिए भारतीय उद्यमों और विदेशी एस.एम.ई. के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के लिए; लघु उद्योग का सर्वेक्षण तथा अध्ययन; ग्राम तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र; महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम सहायता विकास कार्यक्रम और लघु वित्त कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

7. **लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजनाः** इसमें भारतीय ऋण गारंटी निधि स्कीम (सी.जी.एफ. एस.टी.) को योगदान की व्यवस्था है जो बिना संपार्श्विक गांरटी वाली लघु/छोटे एस.एस.आई. इकाइयों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करेगा।

9. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं/**योजनाओं** से संबद्ध है।